

काशी-वाराणसी-वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ।

(14)

संख्या: 139/89-90

दिनांक: 15-11-89

श्री/श्रीमति/से०

श्री/श्रीमति/से०
 40 गेट बिल्डिंग इटिहास
 40 गेट बिल्डिंग इटिहास

आपके पार्यता-पत्र दिनांक 17-10-89 के संदर्भ में प्रस्तावित आपका

मोहल्ला/प्रासा/कालोनी में खस्ता नं० 536, 535 जले गानेरी उद्यान स्थित आवासीय निर्माण का सर्वजन मानचित्र निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जाता है।


- १- यह मानचित्र स्वीकृति को दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है। उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
- २- मानचित्र को इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अप्रिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं किये गये हैं।
- ३- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनधिकृत माना जाएगा।
- ४- यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देव होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से अनधिकृत किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास बुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके। जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन बंधन किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ६- दरवाजे तथा खिडकियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उनके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बड़े न हों। व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों।
- ७- बिजली का लाइन से ५ फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- ८- स्वीकृति मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मीके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्थापित्व की जिम्मेदारी भी उन्ही की होगी।
- ९- सड़क सविसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मेटिरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी का व मलबा निकासी का समुचित प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- १०- निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करेंगे व तदुपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे।
- ११- निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके काटने के लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- १२- पानी की निकासी के लिए बेंड छोड़ना होगा।
- १३- मानचित्र स्वीकृति होने के एक माह बाद कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सतुष्ट हैं कि उक्त अनुमति तथ्यों को छोपाकर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य, प्रस्तुत करके प्राप्त की गयी है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकें हैं। व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा।
- १५- इस मानचित्र की स्वीकृति को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। और किसी भी न्यायालय में केवल मानचित्र को स्वीकृति को भू-स्वामित्व का साक्ष्य का आधार नहीं माना जाएगा।
- १६- सोलिंग से दिशादिष्ट भूमि, नव न भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
- १७- रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में वाइडनिंग, गेट प्रबन्ध अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
- १८- शीष्म ऋतु में पेय जल की कमी को देखते हुए १५ अप्रैल से ३० जून तक निर्माण नहीं किया जाएगा।
- १९- पवतीय भू-भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जाएगी।

सचिव/उपाध्यक्ष 10/11
 मसुरी-वाराणसी विकास प्राधिकरण
 वाराणसी


प्रतिलिपी—

- १- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका वाराणसी।
- २- अधिशासी अभियन्ता, राज्य बिद्युत परिषद उ०प्र०-१८ ई०सी० रोड वाराणसी।
- ३- महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान वाराणसी।


सचिव/उपाध्यक्ष
 मसुरी-वाराणसी विकास प्राधिकरण



GROUND FLOOR



FIRST FLOOR



KEY PLAN

JOB TITLE
 HOUSE BELONGING TO SHRI D.K. GUPTA & SMT. ASHA GUPTA W/O SHRI D.K. GUPTA, SITUATED IN KHASRA, PLOT NOS. 535,536 VILLAGE KANWALI PARGANA CENTRAL DOON, DEHRADUN 1514 LANE NO. 13 MOHITNAGAR).

STATEMENT OF AREA IN SQ.MT.

TOTAL PLOT AREA	504.82 SQ.MT
AREA UNDER ROAD WIDENING	70.52 SQ.MT.
NET PLOT AREA	434.30 SQ.MT
AREA GIFTED FROM SHRI AMIT KUMAR GUPTA	74.90 SQ.MT.
TOTAL AREA	509.20 SQ.MT
COVD. AREA (as per sanctioned plan)	
AREA G.FLOOR	210.00 SQ.MT
AREA F.FLOOR	136.50 SQ.MT
COVD. AREA (as per site)	
TOTAL COVD.AREA G.FLOOR	225.00 SQ.MT
TOTAL COVD. AREA F.FLOOR	145.37 SQ.MT
TOTAL COVD.AREA	370.37 SQ.MT
AREA FOR COMPOUNDING OF G.F.	15.0 SQ.MT.
AREA FOR COMPOUNDING OF F.F.	8.85 SQ.MT.
GROUND COVERAGE G.F.	51%
F.A.R.	.72

SCHEDULE OF DOOR/WINDOWS

S.N	SIZE	DEM
1	0.91X2.13	D
2	0.76X2.13	DH
3	1.70X1.60	W
4	1.50X1.60	W
5	1.80X1.20	WF
6	1.20X0.76	V

NORTH

SHEET TITLE

PLANS

SCALE 1:100

DATE: 31.10.2017

R.W.H-01.CUM

VED & ASSOCIATES
 ARCHITECTS, ENGINEERS & VALUERS
 40 TAGORE VILLA CHAKRATA ROAD
 DEHRA DUN (U.K.).

SIG. OF OWNER




(Signature)

VED P. MITTAL
 B. Arch, AIIA, FIV
 CA/76/1080
 Panel Valuer

SIG. OF ARCHITECT

IT./W.T./Banks/LIC





KEY PLAN

JOB TITLE

HOUSE BELONGING TO SHRI AMIT GUPTA S/O SHRI D.K. GUPTA, SITUATED IN KHASRA PLOT NOS. 535,536 VILLAGE KANWALI PARGANA CENTRAL DOON, DEHRADUN (P.O. I LANE NO. 13 MOHITNAGAR).

STATEMENT OF AREA IN SQ.MT.

TOTAL PLOT AREA	504.82 SQ.MT
AREA UNDER ROAD WIDE (ENC)	70.52 SQ.MT
NET PLOT AREA	434.30 SQ.MT
AREA GIFTED FROM SHRI AMIT KUMAR GUPTA	74.90 SQ.MT
TOTAL AREA	509.20 SQ.MT
COVD. AREA (as per sanctioned plan)	
AREA G.FLOOR	210.00 SQ.MT
AREA F.FLOOR	136.50 SQ.MT
COVD. AREA (as per site)	
TOTAL COVD. AREA G.FLOOR	225.00 SQ.MT
TOTAL COVD. AREA F.FLOOR	145.37 SQ.MT
TOTAL COVD. AREA	370.37 SQ.MT
AREA FOR COMPOUNDING OF G.F.	15.0 SQ.MT.
AREA FOR COMPOUNDING OF F.F.	8.85 SQ.MT.
GROUND COVERAGE G.F.	51%
F.A.R.	.72

SCHEDULE OF DOOR/WINDOWS

S.N.	SIZE	ITEM
1.	0.91X2.13	D
2.	0.76X2.13	D1
3.	1.70X1.60	W
4.	1.50X1.60	W1
5.	1.30X1.20	W2
6.	1.20X0.76	V

NORTH



SHEET TITLE

PLANS

SCALE 1:100

R.W.H-05 CUM

VED & ASSOCIATES

ARCHITECTS, ENGINEERS & VALUERS
40 TAGORE VILLA CHAKRATA ROAD
DEHRA DUN (U.K.).

SIG. OF OWNER

VED P. MITTAL
B. Arch, AIIA, FIV
CA/76/1066

Panel Valuer

I.T./W.T./Banks/LIC

SIG. OF ARCHITECT

